



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 06 मार्च 2015-फाल्गुन 15, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राज बाला तिवारी (Raj Bala Tiwari) पिता जुगल किशोर तिवारी था, जो अब परिवर्तित होकर रिया त्रिपाठी (Rhia Tripathi) हो गया है। अतः भविष्य में मुझे रिया त्रिपाठी (Rhia Tripathi) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(राज बाला तिवारी)

(रिया त्रिपाठी)

(RAJ BALA TIWARI)

(RHIA TRIPATHI)

(640-बी.)

पिता जुगल किशोर तिवारी,

306, गुजरात भवन, 1/1 स्नेहलतागंज, इन्दौर(म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शैला पिता नारायण शहापुरकर था। शादी के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती स्मिता जोशी पति श्री सुधीर बसंत जोशी पढ़ा जाए।

पुराना नाम :

नया नाम :

(शैला)

(स्मिता जोशी)

(638-बी.)

पति श्री सुधीर बसंत जोशी,

50, स्वदेश नगर, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

वर्तमान में मेरा नाम मोहम्मद फरहाद (MOHAMMAD FARHAD) है, जिसमें उपनाम जोड़कर (SHEIKH MOHAMMAD FARHAD) रख रहा हूँ। मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक अन्य दस्तावेज में यह नाम है मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मोहम्मद फरहाद)

(शेख मोहम्मद फरहाद)

(MOHAMMAD FARHAD)

(SHEIKH MOHAMMAD FARHAD)

(639-बी.)

निवासी-बाबू लाईन नवरोजाबाद उमरिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, महमूद आलम आ. अब्दुल रज्जाक, आयु “32” वर्ष, निवासी म. न. 23 नेहरू कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, भोपाल. यह है कि मेरा पूर्व में महमूद आलम था तथा समस्त मार्कशीट में मैं, इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता था लेकिन मैं अपना नया नाम साहिल एम. आलम आ. अब्दुल रज्जाक खेना चाहता हूँ तथा भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाऊं.

पुराना नाम :

(महमूद आलम)

(MEHMOOD ALAM)

(634-बी.)

नया नाम :

(साहिल एम. आलम)

(SAHIL M. ALAM)

नाम संशोधन जाहिर सूचना

मैं, लकी नेहरा पत्नि स्व. श्री अजय नेहरा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी उज्जैन (म.प्र.) आयु 28 वर्ष के नाम से जानी जाती हूँ. इस सम्बन्ध में मैंने अपना उपनाम नेहरा के स्थान पर “शर्मा” कर लिया है. अतः मेरा नाम लकी नेहरा के स्थान पर “लकी शर्मा” लिखा एवं पढ़ा जावे.

शरद कुमार पाराशर,

(एडवोकेट)

(637-बी.)

विवेक कॉलोनी, केन्ट गुना, जिला गुना (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम रजनी कल्याणकर था. जो शादी के पश्चात् बदलकर ज्योति रोड़े कर दिया है. अतः अब से मुझे ज्योति रोड़े के नाम से ही जाना जाए.

पुराना नाम :

(रजनी कल्याणकर)

(632-बी.)

नया नाम :

(ज्योति रोड़े)

पति दीपक रोड़े,

पता—77, गोयल विहार, खजराना, इन्दौर (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे रितेश पिता सुरेशचन्द्र जी गुप्ता, 44, पटेल मार्ग, धार रोड मनावर, जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नम्बर 301-302, साकेत नगर, इन्दौर के नाम से जाना जाता था. मुझे अब रितेश पिता सुरेशचन्द्र जी खण्डेलवाल, 44, पटेल मार्ग, धार रोड मनावर, जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट, फ्लेट नम्बर 301-302, साकेत नगर, इन्दौर के नाम से जाना जाता हूँ. अब भविष्य में मुझे रितेश पिता सुरेशचन्द्रजी खण्डेलवाल के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(रितेश)

पिता सुरेशचन्द्र गुप्ता

(633-बी.)

नया नाम :

(रितेश)

पिता सुरेशचन्द्रजी खण्डेलवाल,

44, पटेल मार्ग, धार रोड मनावर,

जिला धार एवं ई-27-28, देवकी अपार्टमेन्ट,

फ्लेट नम्बर 301-302, साकेत नगर, इन्दौर.

CHANGE IN NAME

I, Swami Prabuddhanand S/o Shri Rakeshchand Mishra here by declare that I have change my name as Prabuddhanand Saraswati S/o Shri Rakeshchand Mishra so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(Swami Prabuddhanand)

(642-B.)

New Name :

(Prabuddhanand Saraswati)

S/o Shri Rakeshchand Mishra,

Address—2, Slice-2, Sector-B, Scheme No.78, Chinmaya Sharanm, Vijay Nagar, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, यास्मीन साबिर ने अपना नाम परिवर्तन कर समीना मोय्यदी कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(यास्मीन साबिर)

(643-बी.)

नया नाम :

(समीना मोय्यदी)

पता-7, माणिक बाग लाईन, फ्लैट नं. 301,

शीरिन बिला, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रुचि गोडवानी ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर जिया बजाज कर लिया है। अब से मुझे इसी नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :

(रुचि गोडवानी)

(644-बी.)

नया नाम :

(जिया बजाज)

पति पुनीत बजाज,

201, आशीर्वाद एवेन्यु, 22/10, बाय. एन. रोड,

रेसकोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, ANITA NATH, here by Declare that I have Change my name as ANITA VENUGOPALAN W/o THEKKE DATHU GOVINDA VARIER VENUGOPALAN. So, From now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(ANITA NATH)

(645-B.)

New Name :

(ANITA VENUGOPALAN)
W/o THEKKEDATHU GOVINDA
VARIER VENUGOPALAN
271/1, CH. Scheme No.-74,
Vijay Nagar, Indore (M.P.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार जितेन्द्र वैष्णव पिता गंगादास जी, आयु 32 वर्ष जाति बैरागी-वैष्णव, निवासी एलआयजी, 76, दीनदयालपुरम कॉलोनी, धार का पूर्व में नाम जितेन्द्र कुमार बैरागी था। अब वर्तमान में उक्त जितेन्द्र कुमार बैरागी, जितेन्द्र वैष्णव नाम से जाने व पहचाने जाते हैं तथा जितेन्द्र वैष्णव के नाम से हि वह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में इसी नाम से जाने व पहचाने जाते हैं जितेन्द्र कुमार बैरागी तथा जितेन्द्र वैष्णव दो अलग व्यक्तित्व नहीं होकर एक ही व्यक्ति है।

भवदीय,

दिलीप कुमार वैष्णव,

(एडवोकेट)

(646-बी.)

89, जवाहर मार्ग, धार (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत सिंह राठौर पिता आईपी सिंह उम्र 24 वर्ष जाति राजपूत, निवासी क्राटर नं. ए-1/125, पोस्ट मलाजखण्ड, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.). यह कि मैंने कक्षा 10वीं वर्ष 2007 तथा कक्षा 12वीं वर्ष 2009 परीक्षा केन्द्रीय अकादमी मलाजखण्ड अंतर्गत सी.बी.एस.ई.बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुका है। यह कि कक्षा 10वीं तथा 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम प्रशांत सिंह पिता आईपी सिंह लिपिकीय त्रुटिवश अपूर्ण दर्ज हो चुका है सरनेम दर्ज नहीं है जबकि उसका वास्तविक पूर्ण नाम प्रशांत सिंह राठौर पिता आईपी सिंह है। समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम प्रशांत सिंह राठौर पिता आईपी सिंह अंकित चला आ रहा है तथा मैं उसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में अपूर्ण नाम के स्थान पर सही नाम प्रशांत सिंह राठौर पिता आईपी सिंह दर्ज करवाना चाहता हूँ।

पुराना नाम :

(प्रशांत सिंह)

(649-बी.)

नया नाम :

(प्रशांत सिंह राठौर)

उप-नाम परिवर्तन

शादी पूर्व मेरा नाम मंजू बाहेती था, जिसे शादी के बाद बदलकर मंजू देवी झवर कर लिया है, अतः मुझे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मंजू देवी झवर के नाम से लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(मंजू बाहेती)

(MANJU BAHETI)

(650-बी.)

नया नाम :

(मंजू देवी झवर)

(MANJU DEVI JHAWAR)

69, जानकी नगर एक्सटेंशन,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं मुकुंद कुमार गुरु वर्तमान में मुकुंद कुमार पांडे (गुरु) पिता श्री अशोक कुमार गुरु, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी-सी-2, शिवानी होम्स, भाटिया टेण्ट हाऊस के पास, दशमेश द्वार, मदनमहल, जबलपुर मध्यप्रदेश शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि मेरा नाम समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में वर्तमान में मुकुंद कुमार गुरु दर्ज है। मैं अपने नाम को संशोधित कर मुकुंद कुमार पांडे (गुरु) करने हेतु यह सूचना दे रहा हूँ। अब मैं वर्तमान में मुकुंद कुमार पांडे (गुरु) लिखने लगा हूँ, मुझे भविष्य में मुकुंद कुमार पांडे (गुरु) के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं समस्त दस्तावेजों में उक्त संशोधन दर्ज कर लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(मुकुंद कुमार गुरु)

पिता श्री अशोक कुमार गुरु,

(652-बी.)

नया नाम :

(मुकुंद कुमार पांडे) (गुरु)

पिता श्री अशोक कुमार गुरु

सी-2, शिवानी होम्स, भाटिया टेण्ट हाऊस के पास,

दशमेश द्वार, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.).

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मेसर्स जयलाल भरतलाल (रजिस्ट्रार आप फर्म्स एण्ड सोसायटीज भोपाल, रजिस्ट्रेशन क्र. 261, दिनांक 24 मई, 1966) में दिनांक 24 फरवरी, 2014 को श्री श्रीगोपाल बंसल कर्ता, श्री श्रीगोपाल बंसल एच.यू.एफ. का स्वर्गवास हो गया है। इसलिये दिनांक 24 फरवरी, 2014 को श्री श्रीगोपाल बंसल कर्ता फर्म से रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 24 फरवरी, 2014 को श्री राकेष कुमार बंसल भागीदार भी फर्म से रिटायर हो गये हैं। तथा दिनांक 25 फरवरी, 2014 को राकेष कुमार बंसल कर्ता श्री श्रीगोपाल बंसल एच. यू. एफ. व श्री श्याम कुमार बंसल फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं। पुराने फर्म की समस्त लेनदारी एवं देनदारी नये फर्म की होगी।

विजय कुमार बंसल,

(भागीदार)

फर्म—जयलाल भरतलाल जैतवारा,

जिला सतना (म.प्र.).

(635-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that a public notice was published on 5th November, 2014, regarding change in composition of partnership of M/s Eshan Udyog, a partnership firm having office at, Village Bheeta, Bheraghat, Jabalpur. Due to a clerical error, date of incorporation of the firm was wrongly published as 27th September, 2009 in place of 27th September, 1999. Hence, it is hereby clarified that incorporation date of firm is 27th September, 1999 and date of change in composition is 01st April, 2013. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of firms and Society.

For-M/s ESHAN UDYOG
JOGESHE JAGGI,
(Partner).

(636-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स टी.पी. गुप्ता एण्ड सन्स आदर्शनगर कॉलोनी, रीवा रोड, सतना पंजीयन क्रमांक रीवा संख्या 113, दिनांक 09 जून, 1995 द्वारा पंजीकृत है जिसमें निम्न भागीदार, (1) श्री संतोष कुमार गुप्ता, (2) श्रीमती रामकिशोरी गुप्ता, (3) श्री विजय कुमार गुप्ता, (4) श्री विनय कुमार गुप्ता हैं, उक्त में से रामकिशोरी गुप्ता का दिनांक 20 फरवरी, 2014 को निधन हो गया है. जिस कारण उनकी भागीदारी समाप्त हो गयी है, व कोई भी लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं तथा शेष तीनों भागीदार यथावत विद्यमान हैं, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 05 (पांच दिवस) के अन्दर इस पते पर सूचित करें, बाद समाप्त म्याद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी.

सन्तोष कुमार गुप्ता,
(पार्टनर)

पता—मेसर्स टी.पी. गुप्ता एण्ड सन्स,
आदर्शनगर कॉलोनी, रीवा रोड सतना,
नियर E.W.S 156, भरहुतनगर सतना (म.प्र.).

(641-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बंगला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, महेन्द्र नगर, नवादा बाग, भिण्ड में दिनांक 31 मार्च, 2011 से भागीदार क्रमशः: (1) कोमल चन्द्र चौधरी पुत्र श्री भागचन्द्र चौधरी, निवासी नेहरू कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर, (2) राजेन्द्र मोहन तिवारी पुत्र श्री कालीचरन तिवारी, निवासी भिण्ड सिटी कोतवाली, भिण्ड, (3) श्री राजवीर चतुर्वेदी पुत्र श्री श्रीरामवरण चतुर्वेदी, निवासी ग्राम अटेर, जिला भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से (1) श्री मनीष बोहरे पुत्र श्री रामनरो बौहरे, निवासी कनैरा, अटेर, भिण्ड, (2) श्री रामनरेश बोहरे पुत्र श्री रामकरण बौहरे, निवासी वीरेन्द्र नगर, लश्कर रोड भिण्ड, (3) श्रीमती रामकांती चतुर्वेदी पत्नि श्री मिथलेश कुमार चतुर्वेदी, पता ग्राम विण्डवा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड फर्म सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

रामवरण चतुर्वेदी,

फर्म—बंगला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
महेन्द्र नगर नवादाबाग अटेर रोड, भिण्ड (म.प्र.).

(647-बी.)

द्वारा—हेमत सिरसट (कर सलाहकार),
सोगानी एण्ड कम्पनी, लोहिया बाजार, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म एल्केमी कैमीकल्स जो कि 31/6, उद्योगपुरी, मकसी रोड पर स्थित है. उक्त फर्म का पंजीयन क्रमांक उ. सं./फ/10/97-98 था. उपरोक्त भागीदारी फर्म का विघटन दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से कर दिया गया है.

ALCHEMY CHEMICALS

चन्द्रिका ज्ञानी,
(Partner).

(648-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is hereby notified that the Constitution of the firm M/s Seth Balmukund Narayandas Agrawal And Co. Multai, Dist. Betul (M.P.) has undergone the following changes:-

1. Shri Dwarka Prasad Agrawal S/o Shri Biharilal Agrawal, Dist. Betul (M.P.) had Voluntarily retired from the partnership firm w. e. from 01-04-2006.
2. Shri Nilesh Kumar Agrawal S/o Shri Pradeep Kumar Agrawal Multai, Dist. Betul (M.P.) had joined the partnership firm as a in coming partner w. e. from 01-04-2006.

For-Seth Balmukund,
Narayandas Agrawal,
And Co. Multai

Pradeep Kumar Agrawal,
(Partner)
Multai (M.P.).

(651-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़

फार्म-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

चूंकि श्री राधाकृष्ण मंदिर धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट पचोर, द्वारा श्री घनश्याम अग्रवाल पिता भंवरलाल, निवासी-पचोर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु जो भी व्यक्ति इस न्यास अथवा अनुसूची में वर्णित चल-अचल सम्पत्ति में हित रखता हो वह अपनी आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय पर स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकता है। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री राधाकृष्ण मंदिर धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट पचोर, तहसील-पचोर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश।
लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन	:	मुकुट चांदी के 07 जोड़ कुल 14 नग, कलंगी नग-6 चांदी के, छोटे मुकुट चांदी के 14 नग, बजन 3.50 ग्राम, कटोरी 05 नग, चांदी की, चांदी के छत्र बड़ा 01 नग, चांदी का छत्र छोटा-01 नग, श्री हनुमान जी का छोटा छत्र 1 चांदी पालिस वाला, छोटे छत्र-2 चांदी के, थाली 1 नग, गिलास 1 नग, पंचपात्र 1 नग, अचमनी 1 नग, गाय चांदी की छोटी 2 नग, मोर छोटे 2 नग, गंगाजली छोटी 2 नग, दीपक 4 नग, आरती 1 नग, बजटी 2 नग सोने की, करदोना 1 नग, करदोना 1 गोल्डन पॉलीस, हार नग 8 सोने की पॉलीस के, मुकुट 3 नग चांदी के, वंशी 2 नग, सोठा 2 नग चांदी के श्री हनुमान जी के मुकुट 3 नग, चांदी के श्री हनुमान जी के राम कवच चांदी का 1 नग, चांदी का पहाड़ 1 नग, पैर के कड़े-2 नग, श्री हनुमान जी के आंवला भगवान का चांदी 4 नग, नथ सोने की 1 नग, इस प्रकार कुल 7 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण जिनकी अनुमानित कीमत 4.00 लाख रुपये है एवं मंदिर की अचल सम्पत्ति एक करोड़ 20 लाख रुपये के लगभग है।

एम. एस. मालवीय,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(120)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

आदर्श मछली पालन एवं नाव मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., भेण्डारा, पंजीयन क्रमांक 286, दिनांक 12 मार्च, 1980, विकासखण्ड खेरलॉजी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंबा/परि./13/884, बालाघाट, दिनांक 19 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. सी. बाहेश्वर, स.वि.अ. खेरलॉजी को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक की अध्यक्षता में संस्था की आमसभा दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को आहुत की गयी थी। आम सभा की बैठक में समिति को परिसमापन से बहाल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदर्श मछली पालन एवं नाव मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., भेणडारा की आम सभा दिनांक 10 सितम्बर, 2014 में लिए गए निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में मेरी राय में निम्न कारणों से:-

1. दिनांक 10 सितम्बर, 2014 की आम सभा में उपस्थित 41 सदस्यों ने सर्व-सम्मति से समिति को परिसमापन से पुर्णजीवित किए जाने का निर्णय पारित किया है और वे समिति को कार्यशील कराना चाहते हैं।

2. समिति के सभी सदस्य कार्य करने हेतु उत्सुक हैं, मत्स्याखेट उनके परिवार के जीविका का साधन है। संस्था के पास 4 तालाबों के आगामी अवधि वर्ष 2015-16 तक के लिए जीवित पट्टाधिकार है। संस्था तत्कालीन अध्यक्ष के लापरवाही पूर्ण कृत्यों से परिसमापन में थी, अतः संस्था सदस्यों का दोष प्रतीत नहीं होता। समिति का मुख्य उद्देश्य भी मत्स्याखेट कर व्यवसाय करना है, उद्देश्य रोजगार मुखी है। समिति के सदस्यों का मत्स्याखेट परम्परागत व्यवसाय है।

उपरोक्त कारणों से परिसमापक की अनुशंसा से सहमत होते हुए समिति को एक अवसर प्रदाय किया जाना व सदस्यों के हित में समिति का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के प्रावधानों के तहत आदर्श मछली पालन एवं नाव मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., भेणडारा, पंजीयन क्रमांक 286, दिनांक 12 मार्च, 1980, के परिसमापन सम्बन्धी आदेश क्रमांक/उ.पं.बा./परि./13/884, बालाघाट, दिनांक 19 जुलाई, 2013 को निरस्त करते हुए समिति के तत्कालीन संचालक मण्डल को पुर्णस्थापित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(109-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम-1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

प्रा. बैगा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., ढीपूर, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 28 जुलाई, 2008, विकासखण्ड परसवाडा को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंबा/परि./13/889, बालाघाट, दिनांक 19 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. मानेश्वर, स.वि.अ. परसवाडा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक की अध्यक्षता में विशेष आमसभा दिनांक 22 सितम्बर, 2014 को आहुत की गयी थी। विशेष आम सभा की बैठक में समिति को परिसमापन से बहाल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रा. बैगा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., ढीपूर की आमसभा दिनांक 22 सितम्बर, 2014 में लिए गए निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में मेरी राय में निम्न कारणों से:-

1. दिनांक 22 सितम्बर, 2014 की विशेष आम सभा में उपस्थित सदस्यों में से 27 सदस्यों ने समिति को परिसमापन से पुर्णजीवित किए जाने का निर्णय पारित किया है, और वे समिति को कार्यशील कराना चाहते हैं।

2. समिति के सभी सदस्य कार्य करने हेतु उत्सुक हैं, मत्स्याखेट उनके परिवार के जीविका का साधन है। संस्था के पास भांगरानाला जलाशय के 30 जून, 2018 तक के पट्टाधिकार हैं। संस्था तत्कालीन अध्यक्ष के लापरवाही पूर्ण कृत्यों से परिसमापन में थी, संस्था सदस्योंका दोष प्रतीत नहीं होता। समिति का मुख्य उद्देश्य भी मत्स्याखेट कर व्यवसाय करना है। उद्देश्य रोजगार मुखी है। समिति के सदस्यों का मत्स्याखेट परम्परागत व्यवसाय है।

उपरोक्त कारणों से परिसमापक की अनुशंसा से सहमत होते हुए समिति को एक अवसर प्रदाय किया जाना व सदस्यों के हित में समिति का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के प्रावधानों के तहत प्रा. बैगा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., ढीपूर, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 28 जुलाई, 2008, के परिसमापन सम्बन्धी आदेश क्रमांक/उ.पं.बा./परि./13/889, बालाघाट, दिनांक 19 जुलाई, 2013 को निरस्त करते हुए समिति के तत्कालीन संचालक मण्डल को पुर्णस्थापित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक।

(109-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

हरिजन चमड़ा उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1872, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत हरिजन चमड़ा उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 24 जून, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1873, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1313, दिनांक 24 जून, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-A)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बोडी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भैसा नाका सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 13 अक्टूबर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1874, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध

में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भैसा नाका सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 13 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-B)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुरुगोविन्द सिंह, वार्ड, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1290, दिनांक 25 फरवरी, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1875, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुरुगोविन्द सिंह वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1290, दिनांक 25 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-C)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कर्पापुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1295, दिनांक 18 मार्च, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1876, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कर्पापुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1295, दिनांक 18 मार्च, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-D)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खामखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1250, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1877, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खामखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1250, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-E)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., किल्लाई, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 18 जनवरी, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1878, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., किल्लाई, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 18 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-F)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1289, दिनांक 23 फरवरी, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1879, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-

पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1289, दिनांक 23 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-G)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरोदिया नोनागिर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1880, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरोदिया नोनागिर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-H)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1881, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-I)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अब्दुल हमीद बार्ड खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1251,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1882, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. किन्तु संस्था पंजीकृत पते पर नहीं पाइ गई एवं सदस्यों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अब्दुल हमीद वार्ड खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(121-J)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तोड़ा काढ़ी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1240, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1883, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तोड़ा काढ़ी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1240, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(121-K)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पलकाटोर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1884, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पलकाटोर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 को

परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-L)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरागोड़, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1307, दिनांक 31 मई, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1885, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरागोड़, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1307, दिनांक 31 मई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-M)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चक्राघाट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1312, दिनांक 19 जून, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1886, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चक्राघाट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1312, दिनांक 19 जून, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-N)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1318, दिनांक 18 जुलाई, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1887, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों

के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1318, दिनांक 18 जुलाई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-O)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., शंकरगढ़ मकरोनिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1319, दिनांक 26 जुलाई, 2008 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1888, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., शंकरगढ़ मकरोनिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1319, दिनांक 26 जुलाई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-P)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

पंडित दीनदयाल कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., चौका, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 31 मार्च, 2004 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1889, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., चौका, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 31 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-Q)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवाही, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1437, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आदेश किये गये थे किन्तु संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1890, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवाही, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1437, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापन नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-R)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरियाकला, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1426, दिनांक 31 मार्च, 2011 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आदेश किये गये थे किन्तु संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1891, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक उत्सहकारी समिति मर्या., सिमरियाकला, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1426, दिनांक 31 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-S)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वालपुरा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1446, दिनांक 22 जून, 2012 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आदेश किये गये थे किन्तु संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1892, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक उत्सहकारी समिति मर्या., ग्वालपुरा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1446, दिनांक 22 जून, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-T)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुआखेड़ा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 22 जून, 2012 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आदेश किये गये थे किन्तु संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1893, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुआखेड़ा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 22 जून, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़ को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-U)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

म. प्र. पु. अ. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 115, दिनांक 30 जुलाई, 1997 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1894, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत म. प्र. पु. अ. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 115, दिनांक 30 जुलाई, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(121-V)

सागर, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 अगस्त, 2007 के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/14/1462, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा डी वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./14/1895,

दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा सोसायटी के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप संस्था द्वारा कार्य नहीं करने एवं जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था के अक्षम रहने के सम्बन्ध में उत्तर चाहा गया था। किन्तु संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है। अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. झा, व. स. नि., सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

संजय नायक,
उप-पंजीयक।

(121-W)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/141.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1556, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जनशक्ति रेत खनिज काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., मरकत जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1758 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री किशोरीलाल पारोची, अंके.अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जनशक्ति रेत खनिज काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., मरकत जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1758 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(122)

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/142.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1385, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था नई किरण सब्जी, फल-फूल उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1654 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री प्रशान्त कौरव, व. स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नई किरण सब्जी, फल-फूल उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1654

का पंजीयन निरस्त करती हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(122-A)

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/143.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1522, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था श्री स्वामी शिवदत्त जी महाराज आदि. खनिज उत्खनन काम. सहकारी समिति मर्या., धोराकोनी जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1737 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था श्री स्वामी शिवदत्त जी महाराज आदि. खनिज उत्खनन काम. सहकारी समिति मर्या., धोराकोनी जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1737 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(122-B)

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/144.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1575, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था आदिवासी काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, पंजीयन क्रमांक 1264 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. नाहर, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था आदिवासी काम. कारी. सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, पंजीयन क्रमांक 1264 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(122-C)

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/142.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1412, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जबलपुर बिजलीघर कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1474 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस. बी. यादव,

सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जबलपुर बिजलीघर कर्म साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1474 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(122-D)

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/146.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1580, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था मरियम लेबर कांट्रैक्ट सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1882 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री छ्वी. नाहर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मरियम लेबर कांट्रैक्ट सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1882 का पंजीयन निरस्त करती हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(122-E)

आरती पटेल,

सहायक आयुक्त सहकारिता।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(बी/ख) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/255.—इस कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/2539, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न कारणों से संस्था को सूचित किया गया था:-

1. संस्था द्वारा श्री पी. सी. बगारियों तत्कालीन आयकर अधिकारी, दमोह, मध्यप्रदेश से संगतम होकर उन्हे कालेधन का कार्य करने पर सहयोग किया है।
2. संस्था द्वारा चैक जारी किये गये हैं जो संस्था की उपविधि तथा बैंकिंग अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। इस हेतु संस्था द्वारा कमीशन की राशि प्राप्त की जाना पाया गया है।
3. संस्था द्वारा श्री पी. सी. बगारियों जो संस्था के प्राथमिक सदस्य न होकर भी व्यवहार कर संस्था उपविधियों का उल्लंघन किया गया है।

संस्था द्वारा नगद राशि जमा कर गोविन्दराम बगारियों को नगद राशि जमा कर एक्सिस बैंक उज्जैन के निम्न चैक जारी किये-

Si no	Date	Cheque No.	Amount (in Rs/-)	Cheque Fovourings	Commission Charged
1.	17-08-07	047634	25000	Govind Ram Bangariya	25
2.	17-08-07	047635	25000	Govind Ram Bangariya	25
3.	27-08-07	053093	25000	Govind Ram Bangariya	25
4.	27-08-07	053093	25000	Govind Ram Bangariya	25
5.	31-08-07	053095	25000	Govind Ram Bangariya	25
6.	27-08-07	053096	25000	Govind Ram Bangariya	25
7.	31-08-07	053104	25000	Govind Ram Bangariya	25
8.	31-08-07	053105	25000	Govind Ram Bangariya	25
9.	01-09-07	053111	25000	Govind Ram Bangariya	25
10.	01-09-07	053112	15000	Govind Ram Bangariya	15
11.	06-09-07	053120	25000	Govind Ram Bangariya	25
12.	06-09-07	055781	25000	Govind Ram Bangariya	25
13.	06-09-07	046519	25000	Govind Ram Bangariya	25
14.	06-09-07	046520	20000	Govind Ram Bangariya	25
15.	06-09-07	047546	20000	Govind Ram Bangariya	20

4. संस्था द्वारा अपने पते में परिवर्तन किया गया है. परन्तु इस हेतु विधि अनुसार पंजीकृत उपविधियों में संशोधन नहीं करवाया गया. यह मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है.
5. संस्था द्वारा ऋण वितरण का कार्य किया गया है किन्तु ऋण नीति नहीं बनाई गई है जो उपविधियों के विपरीत है.
6. संस्था द्वारा अपने सदस्यों को अंश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं और नहीं अंश पंजी संधारित नहीं की गई है. इस प्रकार संस्था की उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 23 का स्पष्ट उल्लंघन है.
7. संस्था द्वारा नाम मात्र के सदस्यों के संब्यवहार किया जाकर उनसे दैनिक बचत योजना अंतर्गत राशि प्राप्त की गई. इसमें 10 प्रतिशत कमीशन एजेण्ट को दिया गया. इस प्रकार संस्था द्वारा नाममात्र के सदस्य से व्यवहार कर अपनी उपविधि क्र. 4 (अ) 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.
8. संस्था की उपविधि क्र. 08 के अनुसार संस्था की अधिकृत अंशपूँजी राशि 10 लाख निर्धारित कि गई है परन्तु संस्था द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2014 पर प्रस्तुत किये गये वित्तीय पत्रकों अनुसार संस्था की प्रदत्त अंशपूँजी राशि रु. 1336800/- है.
9. बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा-5 के अंतर्गत जिन प्राथमिक साख समितियों की प्रदत्त अंशपूँजी रुपये एक लाख से अधिक होने पर उन्हे तीन माह के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को लायसेंस के लिये आवेदन करना अनिवार्य है. संस्था द्वारा इस प्रकार का कोई लायसेंस प्राप्त किये बिना बैंकिंग कारोबार किया जा रहा है जो बैंक विनियमन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है.

उपरोक्त गंभीर अनियमिताओं के कारण संस्था को क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाए :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	साईबाबा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	ए. आर./यू.जे.एन/1424, दिनांक 25 मई, 1996

उपरोक्त संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर संस्था के रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने हेतु सुनवाई दिनांक 12 नवम्बर, 2014 नियत किया गया था. संस्था कि ओर से श्री रामकिशन भरतरिया (लिपिक) उपस्थित होकर उन्होंने अध्यक्ष का पद पेश किया गया है जिसमें उन्होंने पिताजी के स्वर्गवास होने के कारण 15 दिवस का समय दिये जाने की मांग की थी तदनुसार सुनवाई दिनांक 27 नवम्बर, 2014 नियत किया गया. दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को संस्था की ओर से श्री रामकिशन भरतरिया (लिपिक) उपस्थित होकर उन्होंने अध्यक्ष का पत्र पेश किया जिसमें संस्था

की प्रबंधकारिणी समिति में कारण बताओ सूचना-पत्र पर जवाब देने हेतु निर्णय किया जाना है। इसलिए संस्था के हित में निर्णय लेने हेतु संस्था का पक्ष रखने हेतु 20 दिवस का समय दिये जाने का निवेदन किया गया है। न्यायहित में समय देते हुए दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 नियत किया गया। दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को संस्था की ओर से श्री रामकिशन भरतरियॉ उन्होने अध्यक्ष का पत्र पेश किया जिसमें वर्तमान में संस्था की लगभग देनदारी 48.00 लाख रु. तथा लगभग लेनदारी 50.00 लाख रुपये शेष है जिसका निपटारा संस्था एक माह में कर वस्तुस्थिति की जानकारी के दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिये जाने का निवेदन किया गया है। न्यायहित में उपरोक्तानुसार समय प्रदान करते हुए सुनवाई दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 नियत किया गया। दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को संस्था की ओर से श्री रामकिशन भरतरियॉ (लिपिक) उपस्थित होकर बताया कि संस्था अध्यक्ष बाहर गांव जाने के कारण समय दिये जाने का निवेदन किया गया है। समय प्रदान करते हुए सुनवाई दिनांक 05 जनवरी, 2015 नियत किया गया। दिनांक 05 जनवरी, 2015 को संस्था की ओर से रामकिशन भरतरियॉ (लिपिक) उपस्थित होकर उनके द्वारा अध्यक्ष का पत्र पेश किया जिसमें संस्था वर्तमान में चैक संबंधित कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था की देनदारी/लेनदारी का लगभग 95 प्रतिशत निपटारा संस्था द्वारा कर दिया है इस प्रकार संस्था का संतोष जनक उत्तर प्राप्त नहीं होने से तथा संस्था द्वारा वांछित रिकॉर्ड एवं व्यक्तिशः पक्ष समर्थन न करते हुए जवाब मय दस्तावेज के प्रमाणित आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण संस्था के द्वारा संस्था के सदस्यों के हितों का विपरित कार्य किया जाना एवं सोसायटी अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के शर्तों के अनुपालन नहीं करना पाया गया है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) का अनुपालन नहीं करने से मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न लिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	साईंबाबा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	ए. आर./यू.जे.एन/1424, दिनांक 25 मई, 1996	श्री संतोष सांकलियॉ, सह. निरीक्षक.

परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के अस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(123)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ामॉडन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 821, दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, घोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पचलासी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2372, दिनांक 28 जुलाई, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पंचेड़, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 28 जुलाई, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्याहर्जी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जवासियाँ सोलंकी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा श्री कायस्थ साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1680, दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा माँ बगलामुखी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पगारा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1633, दिनांक 10 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सॉकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मालीखेड़ी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 04 जून, 1982 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाझाखेड़ी, जिला उज्जैन,

जिसका पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 22 अक्टूबर, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. पुल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उड्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1244, दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गावड़ी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 645, दिनांक 27 जनवरी, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमाप्त में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमाप्त नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उच्चान, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गुणावद, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1667, दिनांक 28 मार्च, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सॉकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उड़ैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा भारतीय साख सहकारिता मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 11 जुलाई, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. डी. डोडिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा निशा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलोदा सागोतीमाता खाचरोद, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 08 जून, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसंबर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नांदेड, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 482, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कनार्दी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 20 अक्टूबर, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/ 143, दिनांक 21 जनवरी, 2008 द्वारा ओम माँ ममता साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, तहसील एवं जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1304, दिनांक 03 सितम्बर, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(123-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तुलाहेड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 575, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरिगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 817, दिनांक 20 अक्टूबर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्याहामा, जिसका पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 28 अक्टूबर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा नवचेतन साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 16 जनवरी, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 15 जुलाई, 2013 द्वारा गौतम साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1379, दिनांक 01 अप्रैल, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(123-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

नाकोड़ा सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 11 जुलाई, 2002 को अंकेक्षण एवं व्यापार की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुरुंजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुरुंजीवित करना आवश्यक प्रतित होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत नाकोड़ा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 11 जुलाई, 2002 को इस शर्त पर पुरुंजीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(123-V)

उज्जैन, दिनांक 04 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/326.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	समर्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	133/03-03-1988
2.	सम्मान महिला एवं स्वायत्त समूह उज्जैन	108/27-07-2009
3.	कामगार हाथ करघा बुनकर सह. संस्था उज्जैन	449/16-05-1978
4.	जनहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	69/29-12-1980
5.	तराना साख सहकारी संस्था मर्या., तराना	1430/03-10-1996

कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ। उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	समर्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	133/03-03-1988	श्री विनायक राजुरकर
2.	सम्मान महिला एवं स्वायत्त समूह उज्जैन	108/27-07-2009	श्री राजीव लोचन नागर
3.	कामगार हाथ करघा बुनकर सह. संस्था उज्जैन	449/16-05-1978	श्री राजीव लोचन नागर
4.	जनहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	69/29-12-1980	श्री विनायक राजुरकर
5.	तराना साख सहकारी संस्था मर्या., तराना	1430/03-10-1996	श्री संतोष सांकलियाँ

यह आदेश आज दिनांक 04 फरवरी, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,

(123-W)

उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक श्री वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2015/254, उज्जैन, दिनांक 27 जनवरी, 2015 के द्वारा श्री वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 में पंजीकृत थी जो वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-9 के अन्तर्गत सम्पर्कित होकर श्री वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन है जिसका पंजीयन क्रमांक/जे.आर./यू.जे.एन./36, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 है, का मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, आर. एल. नागर, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला उज्जैन (आर. टी. ओ. ऑफीस के ऊपर, भरतपुरा, देवास रोड, उज्जैन) में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

आर. एल. नागर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक,

(125)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 255, दिनांक 27 जनवरी, 2015 के द्वारा मुझे सांईबाबा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 1424, दिनांक 25 मई, 1996) का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, संतोष सॉकलिया, सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

संतोष सॉकलिया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(124)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

आशापुरी बीज उत्पादक मर्या., झामडा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1065, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./213-37, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, बबूल सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बबूल सातनकर,

उप-पंजीयक.

(126)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन	परिसमापन में लाने का	परिसमापन का नाम
		क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
1.	बस्त्रोद्योग रंगाई-छपाई सहकारी संस्था मर्या., पंथानिया.	1183/24-06-2005	150/30-01-2015	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सह. निरी.
2.	चंबल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरी सराय.	1238/12-12-2007	151/30-01-2015	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सह. निरी.
3.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ननोदा.	1248/28-03-2009	152/30-01-2015	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सह. निरी.
4.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंधाना.	1245/05-06-2008	153/30-01-2015	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सह. निरी.
5.	बसुन्धरा एग्रो को. ऑप. सर्विस एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., धार.	1169/13-03-2004	154/30-01-2015	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सह. निरी.
6.	सपना आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1016/10-06-1998	155/30-01-2015	एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सह. निरी.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि न्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बंधित कोई लेखापुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वंयं का होगा।

यह सूचना-आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

एस. एस. चौहान,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(127)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंप/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैशर, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैझर, पंजीयन क्रमांक 1209, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बोज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, माडोगढ़, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, कारण बताओ सचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ—सूचना—पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (२) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, माडोगढ़, पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (१) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से ३ माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-A)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुण्डा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सुचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुण्डा, पंजीयन क्रमांक 1211, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-B)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनार, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सुचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनार, पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-C)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बीजेगांव, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अंतर्एव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डल उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बीजेगांव, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-D)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुखराम, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश सासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुखराम, पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-E)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खैरी, विकासखण्ड नारायणगांज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ—पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मझ में वेचित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्टर,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खैरी, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-F)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपादन/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पदमी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपचित्रित अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पदमी, पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-G)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपादन/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मैली, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपचित्रित अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मैली, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-H)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपादन/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, फडकी माल, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपचित्रित अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, फड़की माल, पंजीयन क्रमांक 1218, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-I)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चंदेरहा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चंदेरहा, पंजीयन क्रमांक 1219, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-J)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पड़रिया, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पड़रिया, पंजीयन क्रमांक 1220, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-K)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, पंजीयन क्रमांक 1221, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-L)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिकोसी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिकोसी, पंजीयन क्रमांक 1222, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-M)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मझगांव, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मझगांव, पंजीयन क्रमांक 1223, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-N)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गूजरसानी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गूजरसानी, पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-O)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरबटी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरबटी, पंजीयन क्रमांक 1225, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-P)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोबरी कला, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोबरी कला, पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के

निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-Q)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपादक/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवरीकला, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपचिकित्त अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेचित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवरीकला, पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-R)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपादक/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जेबरा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपचिकित्त अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेचित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जेबरा, पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-S)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपादक/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुडामैली, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपचिकित्त अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुडामैली, पंजीयन क्रमांक 1229, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-T)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौकी, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौकी, पंजीयन क्रमांक 1230, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-U)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खिन्हा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-५-१-९९-पन्द्रह-१-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-६९ (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खिन्हा, पंजीयन क्रमांक 1231, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-७० (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-७१ के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-V)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अमदरा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अमदरा, पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-W)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, साहा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, साहा, पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-X)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संपर्क/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सलैया, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सलैया, पंजीयन क्रमांक 1234, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के

निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-Y)

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/1513/मण्डला, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बबलिया, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था। इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बबलिया, पंजीयन क्रमांक 1235, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(128-Z)

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2015-फाल्गुन 15, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 नवम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।—

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, धार, सीहोर, बैतूल, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. **बोनी.**—जिला धार में फसल गेहूँ चना व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, इन्दौर, खरगोन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, हरदा, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. **फसल स्थिति.—**

5. **कटाई.**—जिला सीहोर, होशंगाबाद, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में फसल धान व बुरहानपुर में सोयाबीन व अनूपपुर, सोयाबीन, धान व पन्ना, कटनी, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, उमरिया, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 5 नवम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सासाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, आगर धन की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.	
1	2	3	4	5	6	
जिला मुरैना :	मिलीमीटर 1. अम्बाह .. 2. पोसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..	मिलीमीटर 1. अम्बाह .. 2. पोसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..	2. .. 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर 1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..	मिलीमीटर 1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर 1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..	मिलीमीटर 1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..	2. .. 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर 1. ग्वालियर .. 2. डुबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..	मिलीमीटर 1. ग्वालियर .. 2. डुबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर 1. सेवढ़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..	मिलीमीटर 1. सेवढ़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर 1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बद्रवास ..	मिलीमीटर 1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बद्रवास ..	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगबली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेरी 5. शाढ़ौरा				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राधोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा				
जिला छतरपुरः	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर				
जिला सागरः	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, मसूर, अलसी, सरसों कम. चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. खुड़गजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूँग, उड़द, अरहर तिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्जुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, अरहर, राई-सरसों अलसी, चना, गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहरी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राहर, कोदों कम. रामतिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर अधिक. सोयाबीन, राई-सरसों, अलसी कम. कोदों, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर ..	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) राई, सरसों, अलसी, चना, मसूर, मटर, जौ, गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
*जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुम्ढङ्का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर ..	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) गैहूँ अधिक, चना कम, रायडा समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
*जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
*जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला आगर : 1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर ..	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू हैं।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द कम. धान, सोयाबीन, कपास समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. चेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोणडवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	...				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वानी ..					
2. ठीकरी ..					
3. राजपुर ..					
4. सेंधवा ..					
5. पानसेमल ..					
6. पाटी ..					
7. निवाली ..					
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा ..					
2. पंधाना ..					
3. हरसूद ..					
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर ..					
2. खकनार 18.3					
3. नेपानगर 24.0					
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक गन्ना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर ..					
2. खिलचीपुर ..					
3. राजगढ़ ..					
4. ब्यावरा ..					
5. सारंगपुर ..					
6. पचोर ..					
7. नरसिंहगढ़ ..					
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान अधिक, सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी ..					
2. सिरोंज ..					
3. कुरवाई ..					
4. बासौदा ..					
5. नेटरन ..					
6. विदिशा ..					
7. गुलाबगंज ..					
8. ग्यारसपुर ..					
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तेवड़ा, मटर, धान, तुअर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया ..					
2. हुजूर ..					
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर ..					
2. आष्टा ..					
3. इछावर ..					
4. नसरुल्लागंज ..					
5. बुधनी ..					

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान अधिक. ज्वार कम. मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बैगमगंज	..				
4. गौहरांज	..				
5. बेरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ मसूर, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	2.0				
3. शाहपुर	14.6				
4. चिंचोली	1.3				
5. बैतूल	12.2				
6. मुलताई	8.5				
7. आठनेर	..				
8. आमला	18.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मूँग, सोयाबीन, तिल, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुशारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिल्हुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	17.6 14.4 53.0 6.2 23.0 .. 26.4 19.4 36.0 3.4 14.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुवर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुर्झ 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँझी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला भिण्ड, सिंगरौली, नीमच, रत्लाम, उज्जैन, देवास, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।